प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं0 : 1062 सन 2021
अनवान :–

1. हाकमसिह पुत्र रूडसिह जाति जटसिख निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रीतमसिह पुत्र रूडसिह जाति जटसिख निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23.11.2021.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 626/614 के खसरा न0 54/3 की 1.5680हैक खसरा न0 57/1 की 1.7450हैक व खसरा न0 92 की 1.5050हैक कुल 4.8180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दर्ज है।

रोही मौजा मन्दरपरुा के खाता संख्या 272/270 के खसरा न0 147 की 0.6320हैक व खसरा न0 54/1 की 4.1860हैक कुल 4.8180हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों ने वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है इसलिये वादी उनके पूर्वजो के द्वारा किये गये बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासंन गांव कें संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पर्वूजों ने वाद भूमि का आपसी सहमति से वाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 626/614 के खसरा न0 54/3 की 1.5680हैक्ट खसरा न0 57/1 की 1.7450हैक्ट व खसरा न0 92 की 1.5050हैक्ट कुल 4.8180हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दर्ज है।

रोही मौजा मन्दरपरुा के खाता संख्या 272/270 के खसरा न0 147 की 0.6320हैक्ट व खसरा न0 54/1 की 4.1860हैक्ट कुल 4.8180हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पर्वूजों ने वाद भूमि का आपसी सहमति से वाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की वाद भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजो के द्वारा किये गये बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 272/270 के खसरा न0 147 की 0.6320हैक्ट भूमि रहेगी एव रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 626/614 की कुल 4.8180हैक्ट भूमि यथावत रहेगी

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रेाही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 272/270 के खसरा न0 54/1 की 4.1860हैक्ट भूमि रहेगी

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021. को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... मन्दरपुरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हाकमसिह पुत्र रूडसिह जाति जटसिख निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 प्रीतमसिह पुत्र रूडसिह जाति जटसिख निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1062 सन 2021 निर्णय दिनांक– 23.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 272/270 के खसरा न0 147 की 0.6320हैक भूमि रहेगी एव रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 626/614 की कुल 4.8180हैक भूमि यथावत रहेगी

प्रतिवादी संख्या 1 के पास रेाही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 272/270 के खसरा न0 54/1 की 4.1860हैक भूमि रहेगी

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....मन्दरपुरा